अध्याय–14

आवास और शहरी विकास

दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक रूप से सहज और सुलभ गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ सबके लिए सतत, समावेशी और समान सुविधाओं से युक्त बनाना है। मुख्य रूप से मलिन बस्तियों के विकास, सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्त पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और समुचित आवास व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना है। ये सभी नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर रहन–सहन के अनिवार्य घटक हैं।

2. निर्धन और मध्य आय वर्ग के लिए सुलभ आवास दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है। समुचित आवासों का अभाव, बेघरों के रहन–सहन की दयनीय स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों के साथ मलिन बस्तियों की बड़ी संख्या, अनधिकृत कालोनियां और शहर में लगातार अन्य राज्यों से लोगों का आना–ये सब मिल कर आम लोगों के जीवन स्तर पर असर डालते हैं तथा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और आवासन की समस्या पैदा होती है।

3. दिल्ली में आवास से जुड़ी स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण और को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और विकास उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर–विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।

4. हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ–सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से आवास क्षेत्र में सुधार होगा।

5. दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के रीयल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत पहली मई, 2017 को रीयल इस्टेट (नियमन और विकास) प्राधिकरण का गठन किया। इसका लक्ष्य रीयल इस्टेट क्षेत्र का नियमन सुनिश्चित करना और प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को

प्रोत्साहित करना है ताकि उपभोक्ताओं के हित संरक्षित किए जा सके। प्राधिकरण के निर्णयो, निर्देशों या आदेशों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल इस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन जाएगा। यह प्राधिकरण पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के लिए रीयल इस्टेट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6. दिल्ली की विकास योजना की प्रक्रिया में आवास और शहरी विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। दिल्ली में भूमि विकास और सार्वजनिक आवास व्यवस्था के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एकमात्र उत्तरदायी एजेंसी है। आवास के लिए लगातार बढ़ती मांग की तुलना में अपर्याप्त निर्माण के कारण मलिन बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों और अतिक्रमण की समस्या स्थायी चुनौती बनी हुई है।

7. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था, जो देश के अन्य भागों की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि 1991–2001 के दौरान 47.02 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के मुकाबले 2001–2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है और यह 21.20 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है, इसके कुल क्षेत्रफल (1483 वर्ग किलोमीटर) का 75 प्रतिशत हिस्सा शहरी अधिक्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व 14698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली की 16.37 मिलियन आबादी, अर्थात् कुल जनसंख्या (16.79 मिलियन) का 98 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रह रही है। दिल्ली का अत्यधिक शहरी स्वरूप सार्वजनिक सेवा वितरण/नागरिक बुनियादी ढांचा प्रणाली, जैसे जलापूर्ति, मल व्ययन और जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सुलभ आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं आदि, पर भारी दबाव डालता है, जिससे शहर की सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है।

8. दिल्ली की एक तिहाई आबादी अवमानक आवासीय स्थितियों में रह रही है, जिनमें 675 मलिन और झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, 1797 अनधिकृत कालोनियां, पुराने जीर्णशीर्ण क्षेत्र और 362 गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर सुरक्षित, समुचित आवासीय और बुनियादी सेवाओं का अभाव रहता है। अनुमानों के अनुसार दिल्ली को 2021 (मास्टर प्लान–2021) तक 24 लाख नई आवासीय इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें से 54 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए आवश्यक होंगे। करीब 42 प्रतिशत आवासीय इकाइयां अर्थात् करीब 10 लाख मकान मौजूदा आवासीय क्षेत्रों के सघनीकरण और पुनर्विकास के जरिए मुहैया कराने होंगे। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों का स्व–स्थाने पुनर्वास, आंतरिक विकास, अनधिकृत कालोनियों को नियमित बनाना और उनका पुनर्विकास करना तथा पुराने आवासीय क्षेत्रों का सघनीकरण और उन्नयन किया जाएगा।

9. शहरी बुनियादी सुविधाएं शहरी जीवन शैली की जीवन–रेखा हैं। इसके तहत सबके लिए हमेशा पीने के पानी की उपलब्धता, चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति, मल–जल निकासी व्यवस्था, साफ–सफाई और शौचालय की व्यवस्था की जानी है, जो निर्धन आबादी वाले क्षेत्रों, जैसे मलिन बस्तियों, गांवों, अनधिकृत कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, आदि में विशेष रूप से अनिवार्य है। निर्धन आबादी में विशेष रूप से नगर निगम सेवाओं और अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि शहर को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखा जा सके। इसके लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, साफ–सफाई और सार्वजनिक

स्थलों, पार्कों और सड़कों की नियमित देखभाल व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। वर्षा जल के समुचित संरक्षण और पानी के उपयोग में री–साइकलिंग नीति अपनाने तथा जल निकासी, सिंचाई और शहरी कृषि के लिए नवाचारी तरीके अपनाते हुए अवजल और बाढ़ के पानी को परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है।

10. पिछली 12 जनगणनाओं के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की तीव्र वृद्धि और शहरी आबादी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति चार्ट 14.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 14.1

1901–2011 के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति

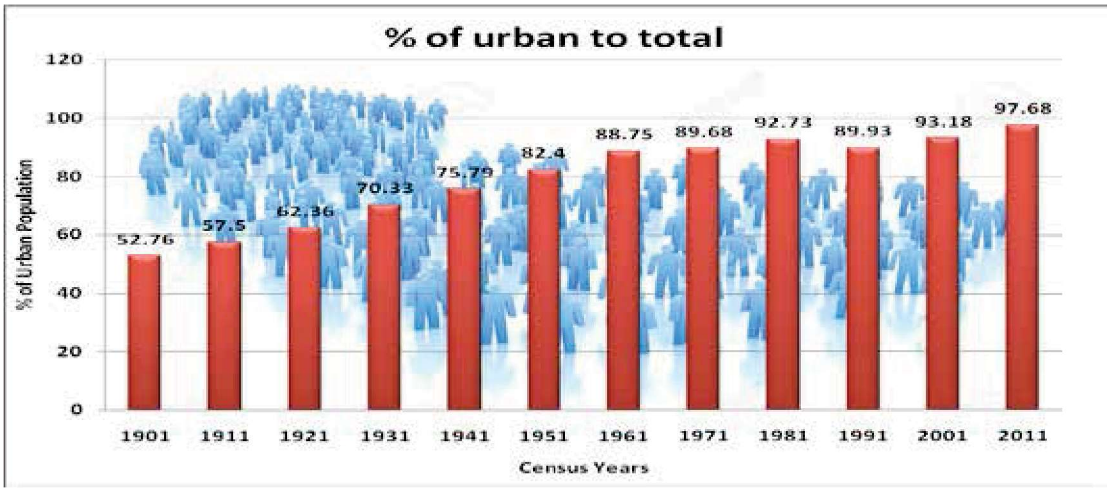

11. दिल्ली में आवासीय स्थितियां

11.1 जनसंख्या वृद्धि, प्रवास और भूमि की उपलब्धता की चुनौतियों के बावजूद पिछले कुछ समय से दिल्ली में आवास की स्थिति में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में आवास की स्थिति नीचे विवरणी 14.1 में दर्शायी गई है :

विवरणी 14.1

क्र.सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
क	गणना आवासों की संख्या						
1	गणना आवासों की कुल संख्या	46,05,555	1,24,422	44,81,133	100.0	100.0	100.0
2	रिक्त गणना आवासों की कुल संख्या	5,12,691	22,556	4,90,135	11.1	18.1	10.9
3	प्रयुक्त गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	88.9	81.9	89.1
ख	प्रयुक्त गणना आवासों की संख्या						
	इस्तेमाल किए जा रहे गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	100.0	100.0	100.0
1	प्रयुक्त गणना आवासों की संख्या	31,76,329	75,234	31,01,095	77.6	73.8	77.7

क्र.सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
2	आवास एवं अन्य उपयोग	1,37,575	3,458	1,34,117	3.4	3.4	3.4
3	दुकान/कार्यालय	3,77,299	3,022	3,74,277	9.2	3.0	9.4
4	स्कूल/कॉलेज आदि	9,709	279	9,430	0.2	0.3	0.2
5	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस आदि	7,754	60	7,694	0.2	0.1	0.2
6	अस्पताल/औषधालय आदि	7,853	113	7,740	0.2	0.1	0.2
7	फैक्टरी/वर्कशॉप/वर्कशेड आदि	90,945	829	90,116	2.2	0.8	2.2
8	पूजा स्थल	8,668	354	8,314	0.2	0.3	0.2
9	अन्य गैर–आवासीय इस्तेमाल	2,37,244	17,713	2,19,531	5.8	17.4	5.5
10	प्रयुक्त बंद गणना मकानों की संख्या	39,488	804	38,684	1.0	0.8	1.0

स्रोत : भारत की जनगणना–2011

11.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 46.1 लाख रिहायशी भवनों में से केवल 40.9 लाख मकान प्रयुक्त किए जा रहे थे और प्रयुक्त मकानों में से भी 77.6 प्रतिशत भवनों का इस्तेमाल रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था। अन्य उपयोग के अंतर्गत इन आवासीय इकाइयों में से 9.2 प्रतिशत का इस्तेमाल दुकानों/कार्यालयों के लिए किया जा रहा था और 5.8 प्रतिशत पूरी तरह गैर–रिहायशी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। दिल्ली में मकानों की गुणवत्ता में पिछले दशकों में सुधार आया है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार जहां ''अच्छे'' मकान 58 प्रतिशत थे, वे 2011 में बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गए। करीब एक तिहाई मकानों को छिटपुट मरम्मत की आवश्यकता थी और केवल 3 प्रतिशत ऐसे थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी और उनके लिए व्यापक मरम्मत आवश्यक थी।

11.3 दिल्ली में मकानों की उपलब्धता पिछले वर्षों में बढ़ी है। फिर भी, मकान की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अभी बना हुआ है। सामान्य मूल्यांकन के अंतर्गत इस अंतराल का अनुमान परिवारों की संख्या और आवासीय इकाइयों की संख्या के बीच अंतर के आधार पर लगाया जा सकता है। विवरण 14.2 में गणना रिपोर्टों से प्राप्त आवास की राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार दिल्ली की तुलना दर्शायी गई है। दिल्ली में मकानों की कमी की स्थिति में 2001 से 2011 में सुधार हुआ, लेकिन सुधार की दर धीमी रही। हालांकि इस परिभाषा में आवासीय और भीड़भाड़ की स्थितियां शामिल नहीं है। दिल्ली और भारत में 1991, 2001 और 2011 में आवासीय भवनों और परिवारों की स्थिति की जानकारी विवरण 14.2 में दी गई है।

विवरण 14.2
1991, 2001 और 2011 के दौरान भारत और दिल्ली में आवासीय भवन और परिवार

क्र.स.	वर्ष	परिवार (लाख)	आवासीय भवन (लाख)	परिवारों की संख्या और आवासीय भवनों के बीच अंतर (लाख)
1.	1991			
	क दिल्ली	18.62	17.14	1.48
	ख भारत	1520.10	1470.10	50.00
2.	2001			
	क दिल्ली	25.54	23.17	2.37
	ख भारत	1919.64	1792.76	126.88
3.	2011			
	क दिल्ली	33.41	31.76	1.65
	ख भारत	2466.93	2360.52	106.41

स्रोत : परिवारों और सुविधाओं संबंधी तालिकाएं, भारत की जनगणना, गृह मंत्रालय 1991, 2001 और 2011

11.4 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में परिवारों को वितरित मकानों के प्रकार के अनुसार 60.19 प्रतिशत परिवारों को 'अच्छे'', 36.19 प्रतिशत परिवारों को ''संतोषजनक'', और शेष 3.62 प्रतिशत परिवारों को ''खराब'' स्तर के मकान उपलब्ध थे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि मकानों की ढांचागत संरचना के अनुसार 99.10 प्रतिशत पक्के मकान, 0.68 प्रतिशत अर्द्ध – पक्के मकाने और 0.22 प्रतिशत कच्चे मकान थे।

विवरण 14.3
गणना मकानों की स्थिति

क्र सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	अच्छे	21,81,500	43,489	21,38,011	65.8	55.3	66.1
2	रहने योग्य	10,39,572	32,234	10,07,338	31.4	40.9	31.1
3	जीर्ण शीर्ण	92,832	2,969	89,863	2.8	3.8	2.8
	कुल आवास	**33,13,904**	**78,692**	**32,35,212**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : भारत की गणना 2011

11.5 **आवास संकुचन :** दिल्ली में 60 प्रतिशत से अधिक परिवार एक कमरे और दो कमरे की आवासीय इकाइयों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार औसत परिवार आकार यदि 2.5 व्यक्ति प्रति कमरा हो, तो उसे आवास संकुचन से ऊपरी स्तर कहा जाता है। दिल्ली में औसत परिवार आकार प्रति कमरा 5 व्यक्ति है, जिसे देखते हुए आवास संकुचन चिंता का विषय है। (तालिका 14.4)

11.6 **मकान का स्वामित्व :** 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां लगभग 68 प्रतिशत परिवारों के पास अपने मकान हैं। जिलावार वितरण से पता चलता है कि नई दिल्ली को छोड़कर सभी जिलों में अपना मकान रखने वाले परिवारों का

अनुपात काफी ऊंचा है। नई दिल्ली में अधिसंख्य सरकारी क्वार्टर और राजनयिक एन्क्लेव स्थित हैं। प्रवासी लोग आमतौर पर किराए के मकानों में रहते हैं। शहर में स्थायित्व हासिल करने से पहले कम से कम शुरुआती दौर में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। स्वामित्व वाले मकानों में बढ़ोतरी से शहर में स्थायित्व प्रक्रिया के बढ़ने का पता चलता है।

विवरण 14.4

जिला	स्वामित्व स्थिति		
	अपने मकान में रहने वाले परिवार	किराए पर रहने वाले परिवार	अन्य परिवार
राराक्षे दिल्ली	68.2	28.2	3.6
उत्तर–पश्चिम	72.5	24.1	3.4
उत्तर	69.2	26.4	4.3
उत्तर–पूर्वी	75.3	23.3	1.4
पूर्वी	68.3	28.6	3.1
नई दिल्ली	13.0	56.6	30.4
मध्य	70.7	24.7	4.6
पश्चिम	73.1	23.4	3.5
दक्षिण–पश्चिम	58.1	38.0	3.8
दक्षिण	63.5	32.8	3.7

स्रोत : भारत की जनगणना–2011

11.7 दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां 68 प्रतिशत परिवार अपने मकानों में और 28 प्रतिशत किराए के मकानों में रहते हैं (जनगणना 2011)। जिलावार आंकड़ों (विवरण 14.4) से पता चलता है कि उत्तरी जिलों में दक्षिणी जिलों की तुलना में अपने मकानों की संख्या अधिक है। नई दिल्ली एकमात्र ऐसा जिला है, जिसमें स्वामित्व वाले मकानों से अधिक किराए के मकानों की संख्या है।

विवरण 14.5
मकानों के प्रकार के अनुसार परिवार

क्र.स	मकान का प्रकार	ढांचे की स्थिति			
		अच्छा	संतोषजनक	खराब	कुल
1	पक्का	2374529 (99.91)	1403898 (98.25)	134292 (94.03)	3912719 (99.10)
2	अर्ध पक्का	2051 (0.09)	21214 (1.48)	3592 (2.51)	26857 (0.68)
3	सभी कच्चे	0	3837 (0.16)	4941 (0.21)	8778 (0.22)
	कुल	2376580 (60.19)	1428949 (36.19)	142825 (3.62)	3948359

स्रोत : दिल्ली में आवासों की स्थिति, एनएसएस 69वां दौर जुलाई 2012–दिसंबर 2012, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

11.8 विवरण 14.5 में मकानों के ढांचे के प्रकार और प्रत्येक प्रकार में परिवारों की संरचना स्थिति के बारे में जानकारी अलग से दी गई हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों में से 99.18 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में, 0.01 प्रतिशत परिवार अर्द्ध पक्के मकानों में और 0.81 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों में रह रहे थे।

11.9 **स्लम और अनियोजित आवास** : दिल्ली सरकार ने 2014 में मलिन बस्तियों और झुग्गी झोपड़ी कालोनियों का सर्वेक्षण कराया था और यह अनुमान लगाया था कि ऐसी बस्तियों में करीब 3.3 लाख परिवार (मोटे तौर पर 17 लाख आबादी) रह रही थी, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में दिल्ली में विकास की तीव्र गति ने रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को यहां प्रवास के लिए प्रेरित किया है।

विवरण 14.6
अनियोजित आवासीय इकाइयां और जनसंख्या का वितरण

(1)	(2)	(3)
झुग्गी बस्ती	झुग्गी झोपड़ी बस्तियां 755 (करीब 3 लाख रिहायशी इकाइयां अपेक्षित हैं) आबादी 17 लाख	सरकारी भूमि अतिक्रमण (राज्य सरकार : 30 प्रतिशत, केंद्र सरकार 70 प्रतिशत)
पुनर्वास कालोनियां	कालोनी 82 (45+37) प्लॉट 2,67,859 आबादी निर्दिष्ट नहीं।	शहर के विस्तारित क्षेत्र में समाहितं, आश्रय समेकन की स्थिति बेहतर, लेकिन समुचित सेवाओं का अभाव।
अनधिकृत कालोनियां	कालोनियां 1797 आबादी 40 लाख	मास्टर प्लानों का उल्लंघन करके अवैध कालोनियां बनाई गईं, जिनमें भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है।
अधिसूचित स्लम क्षेत्र (कटरे)	कटरे 2423, आबादी 2 लाख	स्लम क्षेत्र (परिष्कार एवं मंजूरी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित। इनमें निवासी स्थायी लाइसेंस आधार पर रह रहे हैं।
शहरीकृत गांव	शहरीकृत गांव 135 (227 ग्रामीण गांव हैं, जो अभी शहरी के रूप में अधिसूचित नहीं किए गए हैं)	दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिसूचित
बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले	16,000 व्यक्ति	.

स्रोत : दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 48 लाख मकान बनाने/बेहतर करने होंगे। कुल मकानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत होगी।

11.10 दिल्ली सरकार आवास क्षेत्र में योगदान करने वाले अनेक पक्षों में एक एजेंसी है, क्योंकि भूमि, भूमि विकास और सरकारी आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत है। परंतु, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किए जाने के साथ ही दिल्ली सरकार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण में शामिल हुई है। परंतु, लक्षित आबादी के अति

विशाल आकार को देखते हुए इस तथ्य के कारण सरकारी प्रयास सीमित ही रहेंगे, क्योंकि भूमि की उपलब्धता और आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है। 2021 तक 2.3 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए 2001–2021 की अवधि से सम्बद्ध दिल्ली मास्टर प्लान दस्तावेज (एमपीडी–2021) में 20 लाख नई आवासीय इकाइयां जोड़ने की योजना हैं, जिनमें से 54 प्रतिशत इकाइयां आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की श्रेणी के लिए होंगी।

11.11 मास्टर प्लान दस्तावेज 2021 के अनुसार आवास क्षेत्र के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

चार्ट 14.2

एमपीडी 2021 के अंतर्गत आवास संबंधी अनुमान

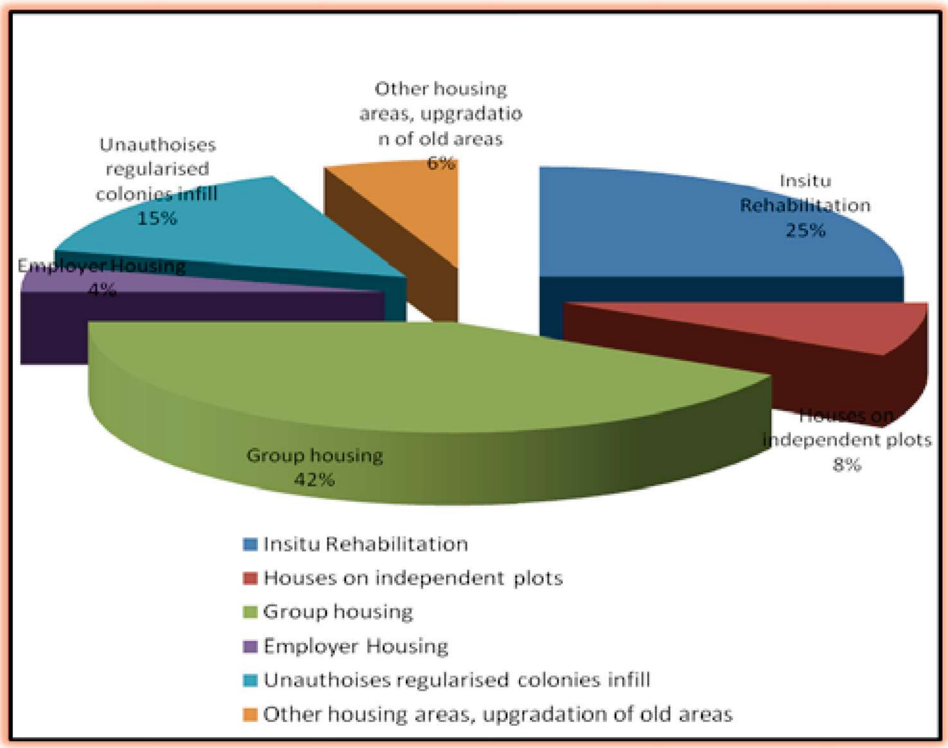

12. मुख्यमंत्री आवास योजना (एमएमएवाई)

सरकार ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कम लागत और सब्सिडी वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों सहित शहरी निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी से सुलभ मकानों के जरिए आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना है।

13. बुनियादी सुविधाएं

13.1 समावेशी शहर का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि उसमें सभी नागरिकों के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी समुचित पहुंच का प्रावधान हो। 2017–18 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में बिजली लगभग हर घर में पहुंचाई जा चुकी है और स्वच्छता तक पहुंच के मामले में भी, पूरी तरह से अनधिकृत बस्तियों को छोड़कर, उल्लेखनीय सफलता हासिल

की गई है। दिल्ली में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। 2001 और 2011 के दौरान उपलब्ध सभी सुविधाओं की स्थिति विवरणी 14.7 में देखी जा सकती है।

विवरण 14.7
दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

क्र सं	मद	2001 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत	2011 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत
1.	विद्युत	23.72	92.86	33.11	99.1
2.	शौचालय सुविधा	19.91	77.96	29.91	89.5
3.	विद्युत एवं शौचालय सुविधा	18.74	73.77	29.80	89.2
4.	विद्युत उपलब्ध लेकिन शौचालय सुविधा नहीं	4.98	19.49	3.31	9.9
5.	शौचालय उपलब्ध लेकिन विद्युत नहीं	1.17	4.59	0.11	0.3
6.	विद्युत और शौचालय सुविधाएं दोनों नहीं	0.65	2.55	0.19	0.6
7.	जलापूर्ति				
(i)	पाइप के जरिए जलापूर्ति	19.24	75.33	27.17	81.3
(ii)	हैंडपंप/टयूबवेल	5.60	21.91	4.58	13.7
(iii)	कुएं	0.01	0.04	0.03	0.1
(iv)	अन्य स्रोत (नदी/नहर/तालाब)	0.69	2.72	1.63	4.8

स्रोत : जनगणना 2011

14. अनधिकृत कालोनियां

14.1 दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले नागरिकों का जीवन सुगम बनाने और सड़क, सड़क किनारे की नालियां और गडढों को भर कर समुचित स्वास्थ्य परिस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार भारी सार्वजनिक निवेश कर रही है।

14.2 अनुमान है कि दिल्ली में 1797 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिन्हें सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जाना है। इन कालोनियों में करीब 40 लाख आबादी है, जिसे बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा कर प्रभावी रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

14.3 दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां, दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जलबोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली के नगर निगम नियमित अनधिकृत कालोनियों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2008 में 895 अनधिकृत कालोनियों को अस्थाई नियमन प्रमाणपत्र प्रदान किए थे।

14.4 आई एंड एफसी विभाग को 38 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए गैर–अधिकृत कालोनियों के विकास कार्य का जिम्मा नवंबर 2017 से अलग अलग चरणों में सौंपा गया।

14.4.1 विभाग ने अभी तक पात्र कालोनियों के लिए 2504.23 करोड़ रुपये की लागत से 837 योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में मौजूदा नालियों की मरम्मत/ऊंचा उठाने और कुछ स्थानों पर नई नालियों का निर्माण ऐसे कार्य शामिल है। गलियों को विकास आर.एम.सी. सडकों के रूप में किया जा रहा है जहां सीवर और पानी की लाइने बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है अथवा तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा के अनुसार इंटर लॉकिंग टाइल्स अथवा कोलतार की सडकें बनाई जा रही हैं।

14.4.2 अनधिकृत कालोनियों में 535 कॉलोनियों को कवर करने वाले 755 कार्यों के लिए 2021–22 के दौरान 2248.57 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति जारी की गई है। कुल 755 कार्यों में से 749 कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से 388 अनधिकृत कॉलोनियों को कवर करने वाले 486 कार्य अब तक पूरे किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को 31.12.2022 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है।

14.4.3 अभी तक 1437.41 करोड का कुल बजट प्राप्त हुआ है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 75.78 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 696.38 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2020–21 में 665.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जारी कार्यों का खर्च पूरा करने के लिए 430 करोड़ रुपये की बजट स्वीकृति भी प्राप्त हुई है।

14.5 डीएसआईआईडीसी दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में एक दशक से अधिक समय से ढांचागत विकास के कार्य कर रहा है। दिसंबर 2015 में सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि विकास कार्य संचालित करने के प्रयोजन से अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण नियम के अंतर्गत नियमित किए जाने की पात्र कालोनियों और अन्य कालोनियों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विकास कार्य सभी अनधिकृत कालोनियों में संचालित किए जाने चाहिए।

14.5.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 488.96 करोड़ रुपये की लागत से 86 कालोनियों में निर्माण कार्य पूरे किए गए जबकि अक्टूबर 2021 तक 59 कालोनियों में 409.71 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर थे। डीएसआईआईडीसी को आवटित शेष कालोनियों में बकाया निर्माण कार्य पूरे करने के लिए 913.99 करोड़ रुपये के प्राक्कलन तैयार किए गए हैं।

15. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)

15.1 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की स्थापना दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के पुनः

स्थापन/पुनर्वास के कार्यक्रम, जैसे पर्यावरण सुधार, स्लम बस्तियों के पुनः स्थापन और स्व–स्थाने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है।

15.2 डूसिब मुख्य रूप से स्लॅम बस्तियों में गुणात्मक सुधार और शहर में स्लॅम निवासियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह शहरी निर्धनों/स्लॅम निवासियों को स्लॅम एवं झुग्गी झोपड़ी निवासी पुनर्वास नीति के तहत आवास के प्रावधान सम्बन्धी कार्यों को अंजाम देता है। इन कार्यों में विशेष परिस्थितियों, जैसे मकानों/कटरों के जोखिमपूर्ण/मानव आवास के लिए अनुपयुक्त हो जाने की स्थिति में, निर्मित फ्लैटों का प्रावधान करना शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में न्यूनतम नागरिक बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नान घर और बस्ती विकास केन्द्र (सामुदायिक केंद्र) प्रदान करने पर ध्यान देता है।

15.3 **डूसिब की व्यापक गतिविधियां इस प्रकार है :**

- रैन बसेरों का निर्माण प्रबंधन और रख–रखाव।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अतंर्गत स्लॅम निवासियों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के तहत कम लागत के मकानों का निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अंतर्गत डूसिब, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों की जमीन पर बसी मौजूदा स्लम और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का स्व–स्थाने पुनर्वास।
- विस्थापितों का पुनर्वास।
- बस्तियों का स्व–स्थाने उन्नयन।
- शहरी स्लॅम बस्तियों में पर्यावरण सुधार।
- भुगतान करके इस्तेमाल योग्य जन सुविधा (शौचालय) परिसरों का निर्माण, प्रचालन एवं प्रबंधन। 01.01.2018 से शौचालयों का इस्तेमाल निःशुल्क बना दिया गया है।
- बस्ती विकास केन्द्रों/समुदाय भवनों का निर्माण।
- कटरों में संरचनागत सुधार और पुनर्वास।
- यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से कार्य करना।

15.4 स्व–स्थाने पुनर्विकास यह सुनिश्चित करने का समुचित विकल्प होगा कि विकास के कारण रोजगार की उपलब्धता, या कार्य स्थल पर पहुंचने में समय की हानि या आय में कमी न हो। पुनःस्थापन के मामले में आवागमन की सुविधा प्रदान करने अथवा आजीविका के साधनों के सृजन पर ध्यान दिया दिया जाएगा। परन्तु, मलिन बस्तियों के विकास का क्रियान्वयन राज्य/शहर की वित्तीय और संसाधनगत उपलब्धि के अनुसार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए।

15.5 मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिए पुनर्वास नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के अंतर्गत, डूसिब स्लम निवासियो के स्व–स्थाने पुनर्वास के लिए निम्नांकित कार्य कर रहा है।

- डूसिब भूमि पर स्थित 4 जेजे बस्तियां सुल्तानपुरी में 1060 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित की जानी हैं। इन फ्लैटों का इस्तेमाल फिलहाल कोविड–19 रोगियों के लिए पृथकवास केन्द्र के रूप में किया जा रहा है।
- भारत सरकार की भूमि पर स्थित 3 जेजे बस्तिओं को द्वारका सेक्टर 16–बी में बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों में स्थानांतरित किया जाना है। इन मकानों का इस्तेमाल फिलहाल कोविड–19 रोगियों के लिए पृथकवास केन्द्र के रूप में किया जा रहा है।
- जहांगीरपुरी में डूसिब भूमि पर स्थित जेजे बस्तियों को भलस्वा में निर्माणाधीन 7400 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में से 2700 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित किया जायेगा, जिनका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एसटीपी का निर्माण किया जाना है। शेष 4700 ईडब्ल्यूएस आवास डीडीए को सौंपे जायेंगे, जिनका आवंटन एआरएचसी अर्थात् कम किराये वाले मकान परिसरों के रूप में किया जाएगा।
- 4 जेजे बस्तियों को पूरी तहत और 5 बस्तियों को आंशिक तौर पर बवाना फेज–1 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा जो, डीएसआईआईडीसी द्वारा बनाए गए हैं।
- देवनगर में स्व–स्थाने स्लम पुनर्वास कार्य के अंतर्गत 784 बहुमंजिले ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का पुनर्वास कार्य डिजाइन एवं निर्माण के आधार पर अवार्ड कर दिया गया है और विधायी अनुमोदन के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। उपरोक्त के अलावा मुख्यमंत्री आवास योनजा के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस मकानों के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की गई और पीडब्ल्यूडी द्वारा वास्तुकार परामर्श दाता की नियुक्ति कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की जमीन पर बनी झुग्गियों के पुनर्वास के लिए आगे आवास परियोजनाएं संचालित करेगा।

15.6 स्लम और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त बनाना

15.6.1 दिल्ली में 675 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक झुग्गियां हैं। इन बस्तियों में 15 लाख लोग रहते हैं। जे.जे. बस्तियों में स्वास्थ्यकर स्थितियां बनाए रखने और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए जे.जे. निवासियों में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति दूर करने की तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुए, डूसिब ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत जे.जे. बस्तियों में ''भुगतान एवं उपयोग जन सुविधा परिसर'' के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में डूसिब इन जे.जे. बस्तियों में हाउस कीपिंग के क्षेत्र में संलग्न प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से पक्का/प्रीफैब/एमटीवी/पोर्टेबल केबिनों में 20000 से अधिक डब्ल्यूसी सीटों का रखरखाव कर रहा है। डूसिब उन स्थानों के लिए भी पोर्टेबल क्यूबिकल शौचालय प्रदान कर रहा है जहां जल और मलव्ययन सुविधाएं नहीं है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2018 से स्लम निवासियों के लिए ये सभी सामुदायिक शौचालय दिन–रात एवं सातों दिन निःशुल्क कर दिए गए हैं।

शौचालयों के लिए उठाए गए कदमः

डूसिब ने जे.जे. बस्तियों में शौचालय प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुछ उपाय किए हैं और नये शौचालयों में उन्हें लागू किया जायेगा, जो इस प्रकार हैंः–

- शौचालय परिसरों में दिव्यांगजनों के अनुकूल वाटर क्लोसेट (डब्ल्यूसी) प्रदान करना।
- पुरूषों और महिलाओं के लिए एक–एक डब्ल्यूसी रातभर खुला रखना।
- दिल्ली नगर निगम से ग्रहण किए गए पुराने जीर्ण–शीर्ण शौचालयों का पूर्ण जीर्णोद्धार और बेहतर मरम्मत एवं रखरखाव के लिए परिष्कृत मानदंड के अनुरूप मौजूदा शौचालयों का उन्नयन करना।
- जे.जे. बस्तियों में शौचालयों परिसरों के लिए नये डिजाइन तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता के आधार पर प्रस्तावित परिसरों के बाहरी रूपाकार में सुधार किया गया ताकि वे देखने में अच्छे लगे।
- वर्तमान शौचालयों परिसरों में सभी डब्ल्यूसी सीटों के साथ टैप वाटर की व्यवस्था करना ताकि इस्तेमाल कर्ताओं के लिए स्वास्थ्यकर सुविधाओं में सुधार लाया जा सके।
- सभी संकेतकों का मानकीकरण, परिष्कार किया गया और उन्हें अधिक सूचनाप्रद बनाया गया।
- नियमित निरीक्षणों के लिए विशेष टीम तैनात करते हुए शौचालय परिसरों पर कड़ी निगरानी रखी गई।
- ऐसे स्थानों के लिए योजनाबद्ध पोर्टेबल मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराना जहां जल और मल–जल व्ययन की सुविधाएं नहीं हैं। इन शौचालय में फ्लशिंग के लिए पानी के पुनः उपयोग हेतु कैमीकल टेक्नोलोजी अपनाई जाएगी और 70/80 बार इस्तेमाल के बाद मल–जल को निकटवर्ती सीवरेज प्रणाली में डालने का प्रबंध किया जाएगा।
- शौचालयों के इस्तेमाल के बारे में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए समुदाय को जागरूक बनाने की प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जायेगी।
- जे.जे. बस्तियों के निवासी 01.01.2018 से इस सुविधाओं का इस्तेमाल निःशुल्क कर रहे हैं। इनमें पुरूषों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

16. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास

16.1 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप–मिशन–2 के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) भारत सरकार ने 52584 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी की 8, डूसिब की 6 परियोजनाओं और न.दि.न.प. की 1 परियोजना के लिए 2750.91 करोड़ रुपये की संशोधित लागत का अनुमोदन किया था। इनमें से 24524 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और 28060 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। दिसम्बर 2021 के अंत तक 2159 फ्लैटों को उपयोग में ले लिया गया था। कम संख्या में फ्लैट अधिकृत करने के पीछे वजह यह है कि आसपास अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं का अभाव है और आवासीय इकाई प्राप्त करने के लिए पात्रता दर बहुत कम रखी गई है, आवंटितों में स्थानांतरण के बाद अपनी आजीविका खोने की आशंका होती है। झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के स्व–स्थाने विकास से संबंधित अन्य मुद्दों में कालोनी का विकास होने तक जेजे निवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए भूमि का अभाव शामिल है।

16.2 24524 पूर्ण निर्मित मकानों में से, 4839 मकान (जिनमें से 2156 मकान जे.जे. बस्तियो के निवासियों, 3 फ्लैट लीज आधार पर सामाजिक कार्य के लिए आंगनवाड़ी को और 1144 मकान 1985 के

पंजीकृतों और 1536 सीआईएसएफ के लिए) आवंटित कर दिए गए हैं और शेष मकानों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार करने का प्रस्ताव हैः–

- 9104 फ्लैट उन स्लम निवासियों को पुनर्स्थापित करने के लिए आरक्षित हैं, जिन्होंने भारत सरकार की एआरएचसी स्कीम की अधिसूचना जारी होने के पहले पुनर्स्थापना प्रभार/लाभार्थी हिस्सा जमा करा दिया था।
- 9535 फ्लैट परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे जाएंगे।
- विभिन्न स्थानों पर स्थित शेष फ्लैटों को सस्ता किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को सौंपे जाने की संभावना का पता लगाया जायेगा।

परन्तु ईडब्ल्यूएस आवास के उपयोग के संदर्भ में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा।

16.3 पूर्ण निर्मित फ्लैटों, आवंटित फ्लैटों और कब्जा प्रदान किए गए फ्लैटो के निर्माण की एजेंसी वार जानकारी विवरण 14.8 में दी गयी हैः

विवरण 14.8

डूसिब, डीएसआईआईडीसी और न.दि.न.प. की परियोजना के अंतर्गत फ्लैटों का सारांश

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	बनाई जाने वाली यूनिटो की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	कब्जा प्रदान की गई यूनिटों की संख्या	यूनिटों का आवंटन का ब्यौरा
डूसिब							
1	सेक्टर 16 बी, फेज–2, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए 980 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–31.07.2014)	50.69	980	980	935	935	नोट–1 देखें
2	साइट नम्बर–2, सेक्टर 16 बी, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 736 चार मंजिला कम लागत के ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–18.12.2009) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–20.09.2013)	21.70	736	736	0	0	
3	साइट नम्बर–2, सेक्टर 16 बी, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 288 चार मंजिला कम लागत के ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–18.12.2009) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–05.12.2013)	8.45	288	288	44	44	नोट–2 देखें
4	ए–3, सुल्तानपुरी के स्लम निवासियों के लिए 1060 (जी+4) पांच मंजिला मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–31.07.2016)	52.55	1060	1060	0	0	शून्य
5	सावदा घेवरा के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 7620 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–01.07.2017)	407.68	7620	3560	1144	210	नोट–3 देखें
6	पॉकेट–2 भलस्वा जहांगीरपुरी के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 7400 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–01.08.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–कार्य प्रगति पर है)	459.18	7400	0	0	0	शून्य

डी एस आई आई डी सी							
7	बवाना–नरेला–भोरगढ़ (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–फरवरी 2007 से फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2008 से मई 2011)	152.1	3868	3868	327	326	
8	घोघा–बापड़ौला (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अगस्त 2007 से फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2010 से मई 2011)	257.98	7104	7104	853	853	नोट–4 देखें
9	बापड़ौला फेज–2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–फरवरी 2013)	98.45	2144	2144	1536	1536	नोट–5 देखें
10	बवाना (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अगस्त 2007) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2010)	28.87	704	704	0		
11	पूठ खुर्द फेज–1 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अक्टूबर 2011) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–अक्टूबर 2016)	222.05	3840	3840	0		
12	पूठ खुर्द फेज–2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–मई 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2016 में 35 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	272.06	4560	0	0		
13	पूठ खुर्द फेज–2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अक्टूबर 2011) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–मार्च 2019 में 65 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	363.08	6300	0	0		
14	टिकरी कलां (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–दिसम्बर 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–मार्च 2019 में 50 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	334.18	5740	0	0		
न.दि.न.प.							
15	बक्करवाला (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–जून 2013) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख– 31.03.2016)	21.89	240	240	0		
	कुल	**2750.91**	**52584**	**24524**	**4839**	**3904**	

नोट 1	935 फ्लैट आवंटित किए गए थे और आवंटियों को सभी 935 फ्लैट का कब्जा दे दिया गया लेकिन दो वर्ष बाद 7 फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया गया।
नोट 2	44 फ्लैट झुग्गी निवासियों को आवंटित किए गए।
नोट 3	7620 फ्लैटो में से 4060 फ्लैटो में मामूली खामियां दूर करने और कुछ विद्युत कार्य बकाया हैं। पूर्ण किए गए 3560 फ्लैटो में से 1144 फ्लैट 1985 की पंजीकरण योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए, परन्तु 1144 आवंटियों में से 210 को फ्लैटो का कब्जा दिया गया है।
नोट 4	डूसिब ने बवाना में 365 फ्लैटो का निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया था जिनमें से 326 फ्लैट सौंप दिए गए और शेष डूसिब के पास खाली हैं।
नोट 5	डूसिब ने बापड़ौला में 1168 फ्लैटो का काम हाथ में लिया था। 853 फ्लैट आवंटित किए गए, जिनमें से 850 पुनर्वास योजना के अंतर्गत जे.जे. बस्ती के आवंटियों को सौंप दिए गए तथा 3 फ्लैट सामाजिक कार्य के लिए लीज आधार पर आंगनवाड़ी को दे दिए गए। शेष फ्लैट डूसिब के पास खाली हैं।

17. रैन बसेरे

17.1 डूसिब का मुख्य उद्देश्य फुटपाथ पर सोने वाले पूरी तरह बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना है। वर्तमान में डूसिब 10 अस्थायी स्थलों पर रैन बसेरों के अलावा 195 रैन बसेरों का प्रचालन और प्रबंधन कर रहा है, जिनमें 18538 लाभार्थियों के ठहरने की क्षमता है। कोविड–19 महामारी के अनुदेशों/निर्देशों को देखते हुए सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने के लिए सदस्यों की

संख्या घटाकर 6941 कर दी गई थी। डूसिब ''आश्रय प्रबंधन एजेंसियों'' के माध्यम से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सभी 'शेल्टर होम्स' का प्रचालन और प्रबंधन कर रहा है, जो दिन रात काम करते हैं। वर्ष के अन्य भागों की तुलना में सर्दी में बेघर लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर वाटर प्रूफ पैगोड़ा टेंट लगा कर यह क्षमता बढ़ा दी जाती है। इन शेल्टर होम्स का प्रचालन और प्रबंधन दिल्ली सरकार की योजनाबद्ध स्कीमों में से एक के तहत आवंटित निधि के साथ किया जा रहा है। सड़कों, फुटपाथों, पुलों के नीचे पटरी आदि पर सोने वाले बेघर लोगों को डूसिब के रैन बसेरों में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध टीम तैनात की जाती हैं।

17.2 रैन बसेरों में महिलाओं, बच्चों, परिवारों, दिव्यांग महिलाओं, नशे की लत से ग्रस्त व्यक्तियों आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन रैन बसेरों का प्रबंध आश्रय प्रबंधन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान बेघर लोगों को बचा कर रैन बसेरों तक लाने के लिए बचाव दलों की भी तैनाती की गई है। ये रैन बसरे बेघरों के इस्तेमाल के लिए चौबीसों घंटे खुले रहते हैं, और निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठंड के दौरान नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है और किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 23378789, 23370560 (लैंडलाइन), 8527898295 (मोबाइल नंबर) और ईमेल dusibnightshelters@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डूसिब ने बेघर लोगों का पता लगा कर उन्हें सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने के लिए ''रैन बसेरा'' नाम से मोबाइल ऐप भी शुरु किया है।

17.3 प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कम्बल, दरियों, जूट की चटाइयों, चादर, तकिए, गद्दों, पीने का पानी/वाटर कूलर/ मयूर जग/वाटर डिस्पेंसर, बिजली कनेक्शन, इमरजेंसी लाइट, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशामकों का प्रबंध होता है। इन रात्रि आश्रय गृहों में गर्मियों के दौरान आराम और सुविधा के लिए डेजर्ट कूलरों का प्रबंध किया गया है, जबकि सर्दियों में वाटर हीटर/गीजर का प्रबंध अधिकांश स्थायी रैन बसेरों में किया जाता है। अस्थाई रैन बसेरों में मनोरंजन के लिए कलर टीवी सेट भी प्रदान किए जाते हैं। कोविड–19 महामारी को देखते हुए अक्षय पात्र द्वारा स्वयंसेवी आधार पर छह महीने के लिए रैन बसेरों के में रहने वाले लोगों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराया गया।

18. यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड

18.1 यमुना पार क्षेत्र के समुचित, तीव्र और स्थाई विकास के लिए एक सलाहकार बोर्ड के रूप में 1994 में यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) की स्थापना की गई थी। बोर्ड यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए निर्माण कार्यों का अनुमोदन और अनुशंसा करता है। यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास में अनेक एजेंसियां शामिल हैं जैसे – दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। दिल्ली में 7वीं विधानसभा की स्थापना के बाद से टीवाईएडीबी का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

18.2 बोर्ड यमुना पार क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए सरकार को बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े मुद्दों पर भी परामर्श देगा ताकि यमुना पार क्षेत्र और रा.रा.क्षे. दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के बीच विकास

असमानता दूर की जा सके। 2009–10 से 2020–21 के दौरान यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) का एजेंसीवार व्यय विवरण 14.9 में दर्शाया गया है।

विवरण 14.9

टीवाईएडीबी का एजेंसीवार व्ययः 2009–10 से 2020–21

(रु करोड़ में)

क्र सं	एजेंसी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	दिजबो	23.00	17.00	15.75	15.72	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-
2	एमसीडी	40.00	39.93	60.00	70.00	109.86	80.00	30.00	-	21.90	34.86	29.47	6.94
3	पीडब्ल्यूडी	0.01	-	0.47	4.82	0.05	0.09	-	-	-	-	2.98	-
4	आई एण्ड एफसी	15.00	9.78	10.00	18.93	19.99	22.71	-	-	6.52	11.50	8.20	0.68
5	शहरी विकास	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	डूसिब	-	-	-	-	-	5.50	-	2.00	-	3.16	3.83	-
7	डीएसआई आईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	-	-	-
	कुल	**78.01**	**78.01**	**88.72**	**109.47**	**132.90**	**110.30**	**30.00**	**2.00**	**29.85**	**49.52**	**44.48**	**7.62**

स्रोतः शहरी विकास विभाग, राराक्षेदिस

19. पुराने दिल्ली शहर का विकास

19.1 पुरानी दिल्ली क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने और उसके पर्यावरण में सुधार के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक क्षेत्रों के नवीकरण और रख–रखाव में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों तथा व्यवसायियों को सक्रिय रूप में शामिल किया गया है। पुरानी दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम की प्रमुख गतिविधियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्मित और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है, जिसे सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित, पोषित और बनाए रखने की आवश्यकता है। निगम बिना कोई लाभ कमाए वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान शहरी धरोहर की संरक्षा करता है।

20. केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)

20.1 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन (अमृत)

20.1.1 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन (अमृत) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री ने 25 जून, 2015 को किया था। इस मिशन की प्राथमिकता प्रत्येक घर में सीवर कनेक्शन सहित जल और सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में वर्षा जल निकासी,

हरियाली और उद्यानों का विकास, शहरी परिवहन, रास्तों का निर्माण, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, फुट–ओवर ब्रिज, गैर–मोटर चालित परिवहन और मल्टीलेवल पार्किंग जैसे घटक भी शामिल हैं।

20.1.2 दिल्ली में कार्यान्वयन की स्थिति

- 802.31 करोड़ रुपये की लागत से कुल 25 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी थी और 7.92 करोड़ रुपये की एक परियोजना निरस्त किए जाने के बदले 3 अन्य परियोजनाएं भी अनुमोदित की गयी।
- अतः अमृत के तहत कुल 27 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी और अब 13 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 3 परियोजनाएं निविदा/डीपीआर चरण में हैं। परन्तु 11 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। अमृत परियोजनाओं की स्थिति की सक्षिप्त जानकारी विवरण 14.10 में दी गयी है।

विवरण 14.10

विवरण	सैप - I (2015-16)		सैप - II (2016-17)		सैप - III (2017-18)		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
परियोजनाएं अनुमोदित	6	223.07	10	265.73	09	313.51	25	802.31
परियोजना निरस्त	-	-	01	7.92	-	-	01	7.92
नई स्थानापन्न परियोजनाएं	-	-	03	6.52	-	-	03	6.52
दिए गए ठेके	6	174.15	12	238.65	06	109.73	24	522.53
कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं	6	174.15	12	238.65	09	273.93	27	686.73
पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	02	01.15	10	146.51	01	32.16	13	179.82
निर्माणाधीन परियोजनाएं	04	173.00	02	88.10	05	77.57	11	338.67
निविदा के तहत परियोजनाएं	-	-	-	-	03	163.00	03	163.00
कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी धन राशि	**104.486**		**141.546**		**62.70**		**308.73**	
व्यय (30.09.2021 तक)	**85.83**		**150.81**		**67.94**		**304.58**	
आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाणपत्र	**83.50**		**137.53**		**61.50**		**282.53**	

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अभी तक राशि रुपये 519.32 करोड़ (रुपये 313.12+रुपये 206.20) प्राप्त हुए है और रुपये 308.73 करोड़ सभी संबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए हैं।

- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों ने कुल 304.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सूचना दी है और 282.53 करोड़ रुपये (संचयी), अर्थात जारी की गई कुल राशि का 92 प्रतिशत, व्यय होने के बारे में भारत सरकार को उपयोग प्रमाणपत्र दिए हैं।

20.2 स्मॉर्ट सिटी मिशन

20.2.1 ''स्मॉर्ट सिटी मिशन'' (जून 2015 में प्रारंभ) का लक्ष्य ऐसे शहरों का विकास करना है जो अपने नागरिकों को मूलभूत ढांचा, उत्कृष्ट जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ और स्थायी पर्यावरण प्रदान करें तथा' स्मॉर्ट' समाधान लागू करें।

20.2.2 दिल्ली में कार्यान्वयन की स्थितिः

- नई दिल्ली नगर पलिका परिषद को 28.01.2016 को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया।
- एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एनडीएमसी एससीएल) नाम की विशेष प्रयोजन कंपनी 28 जुलाई 2016 का अधिनियमित की गयी, जिसमें भारत सरकार और एनडीएमसी की इक्विटी हिस्सेदारी है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 106 परियोजनाए शामिल हैं और इनमें से 86 पूरी हो गयी है, 9 निर्माणाधीन हैं, 4 निविदा चरण में हैं, 6 परियोजनाए डीपीआर चरण में हैं। एक परियोजना की विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदित की गयी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए राराक्षे दिल्ली सरकार को 294.00 करोड़ रुपये (02.00 करोड़ रुपये+08.00 करोड रुपये+186.00 करोड़ रुपये+98.00 करोड़ रुपये) जारी किए थे। अभी तक विशेष प्रयोजन कंपनी को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 294.00 करोड़ रुपये और एनडीएमसी से 200.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान हुआ है। इस प्रकार सीड पूंजी के रूप में 494.00 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। प्राप्त धनराशि और उसके इस्तेमाल की स्थिति विवरण 14.11 में दर्शायी गई हैः

विवरण 14.11

(रुपये करोड़ में)

विवरण	प्राप्त धन			प्रयुक्त राशि		
	परियोजना निधि	प्रशा.एवं प्रचा. व्यय	कुल	परियोजना निधि	प्रशा.एवं प्रचा. व्यय	कुल
भारत सरकार से प्राप्त और एनडीएमसी एससीएल को अंतरित निधि 2015-16 – 02.00 करोड़ 2016-17 – 194.00 करोड़ 2020-21 – 98.00 करोड़	279.00	15.00	**294.00**	195.00	08.61	**203.61**
एनडीएमसी द्वारा दी गई धनराशि	**200.00**	**-**	**200.00**	**195.00**	**-**	**195.00**
कुल निधि	**479.00**	**15.00**	**494.00**	**390.00**	**08.61**	**398.61**

20.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। राराक्षे दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग दिल्ली में एनयूएलएम की गतिविधियों में समन्वय के लिए नोडल विभाग है। इसके अतिरिक्त एनयूएलएम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए मिशन स्वराज को राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

20.3.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और कमजोरी दूर करना है ताकि वे लाभप्रद स्व–रोजगार और कुशल दिहाड़ी रोजगार के अवसरों तक पहुंच कायम कर सकें। इसके अंतर्गत सामाज के निचले स्तर पर गरीबों की संस्थाओं की स्थापना के जरिये, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार के उपाय किए जाते हैं। इस मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को अनिवार्य सेवाओं से सुसज्जित आश्रय भी प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यह मिशन शहरी गली विक्रेताओं के आजीविका सरोकारों का भी समाधान करता है। इसके अंतर्गत गली विक्रेताओं को उपयुक्त स्थल, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और उभरते हुए बाजार अवसरों तक पहुंच कायम करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे उपाय किए जाते हैं।

20.3.2 एनयूएलएम के 5 घटक हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. **कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार:**

एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार (ईएसटी एण्ड पी) घटक का लक्ष्य अकुशल शहरी निर्धनों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल का उन्नयन करना है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी निर्धनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सके और निजी क्षेत्र में वेतन रोजगार प्राप्त कर सके। ईएसटी एण्ड पी कार्यक्रम का लक्ष्य है बाजार की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्थानीय कौशल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतराल दूर करना है।

कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार (ईएसटी एण्ड पी) कार्यक्रम का बृहत्तर लक्ष्य स्थायी आजीविका के लिए कौशल के रूप में शहरी निर्धनों को एक संपत्ति प्रदान करना और उन्हें संरचनाबद्ध, बाजारोन्मुखी प्रमाणित पाठ्यक्रमों के जरिये वेतन रोजगार और/या स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी करनी है। इससे वे अंततः उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और स्थायी आधार पर शहरी गरीबी दूरे करने में मदद मिलेगी। इस तरह समावेशी विकास सुनिश्चित होगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षत शहरी निर्धनों का योगदान बढ़ेगा।

विवरण 14.12

क्र.स.	मद/गतिविधि का नाम, जो भी लागू हो	वास्तविक 01.04.2021 से 31.10.2021
1	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या	1135
2	दाखिल लाभार्थियों की संख्या	450
3	प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या	468
4	आजीविका पहल गतिविधियां: ईएसटी एण्ड पी लाभार्थियों के लिए विभिन्न जिलों में रोजगार मेला	

2. **शहरी बेघरों के लिए आश्रय**

एनयूएलएम कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय घटक का लक्ष्य शहरी बेघर आबादी को जलापूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी और अवसंरचना सुविधाओं सहित स्थायी शेल्टर की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना; शहरी निर्धनों के विशेष कमजोर समूहों जैसे आश्रित बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगजनों, मानसिक रोगियों और गंभीर बीमारियों से स्वस्थ हुए लोगों की

जरूरतें पूरी करना और इसके लिए बेघरों के बीच विशेष वर्गों का निर्माण करना तथा उनसे संबद्ध विशेष सेवाओं का प्रावधान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेघर आबादी को उनसे संबद्ध विभिन्न पात्रताओं तक पहुंच भी प्रदान की जाती है जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), पहचान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, सस्ते आवास आदि। इसके अलावा, राज्य सरकार और बेघरों के समूहों सहित स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विकास के लिए ढांचे और फ्रेमवर्क तैयार करने, आश्रय स्थलों का प्रबंधन और निगरानी तथा बेघर व्यक्तियों के लिए बुनियादी सेवाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं।

दिल्ली में इस घटक का कार्यान्वयन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा किया जा रहा है। शहर में चार नये शेल्टरों के निर्माण, 13 मौजूदा शेल्टरों में सुधार और शेल्टरों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए व्यय को मंजूरी दी गयी।

3. **सामाजिक एकीकरण और संस्थागत विकासः**

एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी निर्धन परिवारों को तीन–स्तरीय ढांचे में एकीकृत करने का प्रावधान है, जहां स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं और इन समूहों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए एरिया और शहर के स्तर पर संगठित किया जाता है।

समुदाय के स्तर परः 10–20 सदस्यों को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में एकजुट किया जाता है।

एरिया स्तर परः ऐसे 10–20 स्वयं सहायता समूहों के एरिया स्तरीय परिसंघ बनाए जाते हैं ताकि वे बैंक सुविधाओं, समूहों के बीच परस्पर लेन–देन, उच्चस्तरीय संगठनों के साथ संपर्क कायम करने जैसे बड़े मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सके और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारो और विशेषाधिकारों के बारे में अधिक मोल भाव के अधिकार हासिल कर सके।

शहर के स्तर परः एरिया स्तरीय परिसंघ (एएलएफ) मिलकर शहर स्तर के परिसंघ (सीएलएफ) बनायेंगे। शहर स्तरीय परिसंघों से अपेक्षा की जायेगी कि वे एएलएफ, सदस्य एसएचजी, नगर प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करे ताकि शहरी निर्धनों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

एसएचजी और उनके परिसंघों के निर्माण में प्रेरक भूमिका निभाने और एनयूएलएम के अंतर्गत एसएचजी सदस्यो के वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त पंजीकृत एजेंसियां अथवा एसएचजी के पहले से स्थापित परिसंघ अथवा गैर सरकारी संगठनों को **संसाधन संस्था (रिसोर्स ऑर्गेनेशन)** के रूप में संलग्न किया जाता है। संसाधन संस्था को स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनके विकास, बैंक से संबंधों, एरिया स्तरीय और शहर स्तरीय परिसंघों की स्थापना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ संपर्क कायम करने में भूमिका अदा करनी होगी।

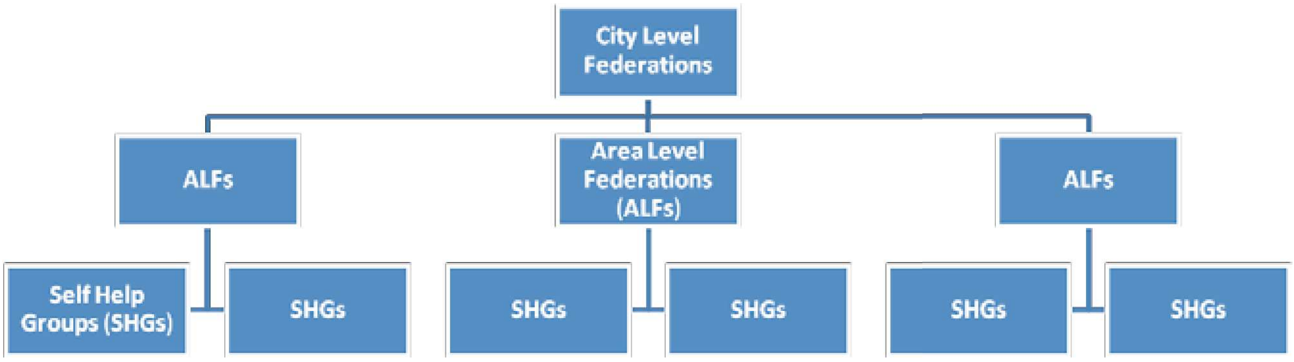

विवरण 14.13

क्र.स.	मद/गतिविधि का नाम, जो भी लागू हो	वास्तविक 01.04.2021 से 31.10.2021
1	गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	165
2	बैंक खाता खोलने वाले एसएचजी की संख्या	41
3	रिवालविंग निधि सहायता के लिए भेजे गए एसएचजी की संख्या	38
4	गठित एएलएफ की संख्या	2
5	विभिन्न जिलों में बाजार स्थलों पर एसएचजी महिलाओं द्वारा दिवाली मेला	

4. **स्व–रोजगार कार्यक्रमः** इस घटक के अंतर्गत शहरी निर्धनों के व्यक्तियों/समूहों को वित्तीय सहायता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि वे अपने कौशल, प्रशिक्षण, अभिरूचि और स्थानीय स्थितियों के अनुकूल लाभप्रद स्व–रोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सके। यह घटक शहरी निर्धनों के स्वयं सहायता समूहो को बैंक से आसान शर्तों पर ऋण और एसएचजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने में मदद भी करता है। यह घटक अपनी आजीविका के सूक्ष्म उद्यमों में शामिल व्यक्तियों, समूह उद्यमों, एसएचजी सदस्यो और शहरी गली विक्रेताओं/फेरी वालों को प्रौद्योगिकी, विपरण और अन्य सहायता सेवाओं पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

अर्ध रोजगार और बेरोजगार शहरी निर्धनों को विनिर्माण, सेवाए प्रदान करने और ऐसे लघु व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनकी स्थानीय मांग हो।

शहरी निर्धनों को व्यक्तिगत और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है। व्यक्तिगत और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज दर और 7 प्रतिशत ब्याज दर से अधिक ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनयूएलएम के तहत प्रचलित ब्याज दर और 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के बीच अंतर के रूप में सब्सिडी दी जाती है। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के मामले में अधिकतम यूनिट परियोजना लगात 2,00,000 (दो लाख) रुपये और समूह उद्यम के मामले में 10,00,000 (दस लाख) रुपये निर्धारित है। संभावित लाभार्थी, 'शहरी निर्धन' की आयु ऋण के लिए आवेदन करने के समय 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए।

एनयूएलएम घटक का कार्यान्वयन राजस्व जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा किया जाता है। संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक राजस्व जिला स्तर पर कार्य दल समितियों का गठन किया गया है, जो व्यक्तिगत और समूह उद्यमों के मामले बैंक को भेजने के बारे में अनुशंसा करती हैं।

विवरण 14.14

क्र.स.	मद/गतिविधि का नाम, जो भी लागू हो	वास्तविक 01.04.2021 से 31.10.2021
1	बैंक को भेजे गए ऋण आवेदनों की संख्या	303
2	मंजूर किए गए ऋणों की संख्या	29
3	दिल्ली में विभिन्न जिलों में एसईपी और पीएमएफएमई जागरूकता शिविरों का आयोजन	

5. शहरी गली विक्रताओं को सहायताः

शहरी गली विक्रेता शहरों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के पिरामिड के निचले भाग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गली विक्रेता व्यवसाय स्व–रोजगार का स्रोत हैं और यह शहरी गरीबी उपशमन के उपाय के रूप में काम करता है। शहरी गली विक्रय व्यवसाय का शहरी आपूर्ति शृंखला में प्रमुख स्थान है और इससे निर्धनों सहित समाज के सभी वर्गों को वस्तुओं एवं सेवाओं तक किफायती एवं सुविधा जनक पहुंच प्राप्त होती है। इसलिए गली विक्रय व्यवसाय शहरी क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

शिक्षा और कौशल का स्तर कम होने, अपौचारिक ऋण और सूक्ष्म उद्यम सहायता तक सीमित पहुंच होने की वजह से बाजार में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने की गली विक्रेताओं की क्षमता बाधित होती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शहरी गली विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करता है। यह मिशन उन्हें विक्रय के लिए उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सहायता और उनके कौशल एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधों में सुधार लाता है।

इस घटक का लक्ष्य बहु–आयामी कार्यनीति अपनाते हुए शहरी गली विक्रेताओं की कमजोरियां दूर करना है। इसके अंतर्गत गली विक्रेताओं का सर्वेक्षण और उन्हें पहचान पत्र जारी करना, गली विक्रय योजनाओं का विकास, शहर में विक्रय क्षेत्रों का ढांचा विकास, प्रशिक्षण और कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, ऋण तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच, आदि गतिविधियां शामिल हैं।

शहरी स्थानीय निकायों को सूचित कर दिया गया है और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है ताकि गली विक्रेताओं के लिए अधिक समावेशी और संरचनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।

20.4 स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

भारत सरकार ने 2.10.2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के अलावा खुले में शौच से मुक्ति, हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा समाप्त करना, ठोस कचरे का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल

है। शुरू में इस मिशन के पहले चरण की अवधि पांच साल की थी जिसे बाद में सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। समूचे मिशन की अवधि (2014–2019) के लिए दिल्ली के लिए निर्धारित केंद्रीय वित्तीय सहायता विवरण 14.15 में दी गई है।

विवरण 14.15

(रुपये करोड़ में)

	आईआईएचटी	सीटी	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
तय राशि	50.16	5.15	263.68	24.61	6.15	349.76
जारी राशि	25.08	5.15	116.59*	13.34	0.82	160.98
प्रयुक्त केंद्रीय योगदान राशि	23.34	5.15	84.15	10.15	0.20	123.40
शेष केंद्रीय अंश राशि	25.08	शून्य	147.08	11.27	5.33	188.77
2019–20 में निधि अनुरोध	10	शून्य	48.50	13	06	77.50

एसडब्ल्यूएम घटक के तहत डब्ल्यूटीई प्लांट, तेहखंड एसडीएमसी के लिए जारी 53.12 करोड़ रुपये की एसडब्ल्यूएम राशि सहित

(आईएचएचटी – घरेलू शौचालय, सीटी–सामुदायिक शौचालय, एसडब्ल्यूएम–ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आईईसी–सूचना और संचार शिक्षा और सीबी–क्षमता निर्माण)

20.4.2 खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति

क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को खुले में शौच से मुक्त++शहर का प्रमाणपत्र दिया गया है।

ख) दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ओडीएफ+शहर का दर्जा हासिल कर लिया है। वर्तमान में समूचा रा.रा.क्षे. दिल्ली खुले में शौच से मुक्त–ओडीएफ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश है।

20.4.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क) **एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना:**

- प्लास्टिक का संग्रह नवीन उपायों जैसे *प्लास्टिक लाओ, थैला पाओ, बरतन भंडार* आदि के माध्यम से समुदाय को शामिल करके किया जा रहा है। ''बॉटल्स फॉर चेंज'' (बिसलेरी के सहयोग से), प्लॉग रन रैलियों आदि पहलों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के संग्रह और पृथक्करण के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस तरह एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों में भेजा जा रहा है।
- इसके अलावा, निजी क्षेत्र की सीएसआर गतिविधियों और समुदाय के सहयोग से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए 2020 में आईपीसीए (एक स्वयंसेवी संगठन) के साथ मेरा 10 कि.ग्रा. प्लास्टिक अभियान के अंतर्गत 6367 किग्रा. प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया और ओएनजीसी के सहयोग से बॉटल क्रशर मशीनों की स्थापना की गई है। उत्तरी दि.न.नि. ने कचरा कैफेश की स्थापना की है और निगम करोल बाग में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र भी बना रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ–साथ सामग्री वसूली सुविधाएं (एमआरएफ) भी स्थापित की गई हैं।

- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (2018 में संशोधित) के लिए उपनियम अधिसूचित किए गए हैं।
- एनजीटी के आदेश के अनुसार एसयूपी पर कारगर ढंग से रोक लगाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है।
- दिनांक 24.02.2021 को हुए प्रगति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में केवल एक बार इस्तेमाल (सिंगल यूज) किए जाने वाले प्लास्टिक को एक अभियान के तहत खत्म करने के उपाय करने के लिए राराक्षे दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य दल का गठन किया गया है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (पीडब्लूएमआर), 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर शहर स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में श्एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने के लिए एक समितिश गठित की गई है। इसका लक्ष्य एकबारगी प्रयुक्त प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/हितधारकों के बीच प्रभावी निगरानी और समन्वय करना है। समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

20.4.4 कूड़ा मुक्त रेटिंग

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 'कूड़ा मुक्त पांच सितारा शहर' की रेटिंग हासिल की है।

20.4.5 स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग

(1) स्वच्छता और साफ सफाई के विभिन्न मानकों पर शहरों की रैंकिंग के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण–**स्वच्छ सर्वेक्षण** की वार्षिक रिपोर्ट विवरण 14.16 में दी गई है:–

विवरण 14.16

शहरी स्थानीय निकाय	स्वच्छ सर्वेक्षण 2016, 73 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, 434 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, 4041 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, 4237 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, 4242 शहरों की भागीदारी
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	4	7	1 * (1–3 जनसंख्या श्रेणी)	5	8
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	43	279	206	282	291
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	39	202	32	138	120
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	52	196	341	240	232
दिल्ली छावनीबोर्ड	शामिल नहीं	172	1 (छावनी बोर्ड क्षेत्र)	1 (छावनी बोर्ड क्षेत्र)	2 (छावनी बोर्ड क्षेत्र))

(2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भौतिक प्रगति

दिल्ली में अपशिष्ट परिदृश्य

विवरण 14.17

दिल्ली में कचरा संबंधी स्थिति (मी.ट.प्र.दि.)

शहरी स्थानीय निकाय	**नगर निगम ठोस कचरा उत्सर्जित (मी.ट.प्र.दि.)**	**निपटान किया गया कचरा (मी.ट.प्र.दि.)**	**नगर निगम ठोस कचरा निपटान केन्द्र (एमडब्ल्यू)**	**सेनेटरी लैंड फिल पर डाला गया कचरा (मी.ट.प्र.दि.)**
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	2800	1300	12 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई संयंत्र, गाजीपुर	2000 (गाजीपुर लैंडफिल)
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4500	2300	24 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई संयंत्र और 150 डब्ल्यूटीसी संयंत्र, नरेला–बवाना	2200 (भलस्वा लैंडफिल)
एपीएमसी	200	0		
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	3600	2050	21 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई संयंत्र और 200 मी.ट.प्र.दि डब्ल्यूटीसी संयंत्र, ओखला	1450–द.दि.न.नि 500–पू.दि.न.नि (ओखला लैंडफिल)
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	350	350		
दिल्ली छावनी बोर्ड	72	41		31
कुल	**11,522**	**6,041**	**57 (एमडब्ल्यू)**	**6,181 (सेनेटरी लैंड फिल पर)**

मी.ट.प्र.दि – मीट्रिक टन प्रति दिन, एसएलएफ– **सेनेटरी** लैंड फिल, डब्ल्यूटीई–कचरा से ऊर्जा, डब्ल्यूटीसी – कचरे से कम्पोस्ट, एमडब्ल्यू–मेगावाट और एमएसडब्ल्यू–नगर ठोस कचरा।

(3) नगरीय ठोस कचरे के लिए प्रस्तावित क्षमता संवर्धन

विवरण 14.18

नगरीय ठोस कचरे के लिए प्रस्तावित क्षमता संवर्धन

एजेंसी	
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	–उत्पादन – 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन, डब्ल्यूटीई गाजीपुर में (12 मेगावाट) अंतराल – **1500 मीट्रिक टन प्रतिदिन** एकीकृत निपटान केन्द्र, 2000 मीट्रिक टन (1200 एमटीपीडी बायोमिथेनाइजेशन+600 एमटीपीडी डब्ल्यूटीई के लिए+200 एमटीपीडी इन्अर्ट वेस्ट के लिए) प्रतिदिन के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम में घोंडा, गुजरान विकसित की जानी है। परियोजना के पूरी होने की तारीखः –दिसम्बर 2022
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	–उत्पादन 4500 मीट्रिक टन प्रतिदिन नरेला–बवाना डब्ल्यूटीई में 2300 मीट्रिक टन प्रतिदिन का निपटान (24 मेवा और 70 मीट्रिक टन कम्पोस्ट) **अंतराल 2200 मीट्रिक टन** कंपोस्टिंग / बिजली उत्पादन और तेल के माध्यम से 100 प्रतिशत नगरपालिका अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूरा होने की तिथि : दिसंबर, 2022

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	उत्पादन 3600 मीटिक टन (16 मेगावाट) निपटान 1600 मीट्रिक टन डब्ल्यूटीई ओखला 100 मीट्रिक टन डब्ल्यूटी ओखला **अंतराल 2000** तेहखंड में 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का उपचार संयंत्र निर्माणाधीन पूरा होने की तिथि : दिसंबर, 2022 (100 प्रतिशत)
एनडीएमसी	उत्पादन 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन, डब्ल्यूटीओ ओखला इसके अलावा लगभग 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन 125 कम्पोस्ट गडढों और 5 बायो मिथेनाइजेशन द्वारा निपटान
दिल्ली छावनी बोर्ड	72 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 41 मीट्रिक टन प्रतिदिन **अंतराल 31 मीट्रिक टन प्रतिदिन**, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं।

(4) बॅल्क अपशिष्ट उत्सर्जन

विवरण 14.19

दिल्ली में बॅल्क अपशिष्ट उत्सर्जन की स्थिति (एमटीपीडी)

शहरी स्थानीय निकाय	पहचान संख्या	उत्सर्जित अपशिष्ट (एमटीपीडी)	निस्तारित अपशिष्ट (एमटीपीडी)
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	644	136	07
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	452	59	24
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	328	41	41
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	25	15	4.5
कुल	**1449**	**251**	**76.5**

(5) ठोस कचरा उत्सर्जन–घर घर जाकर कचरा संग्रह करना

विवरण 14.20

शहरी स्थानीय निकाय	**वार्डों की संख्या**	**ऐसे वार्डों की संख्या, जो घर–घर जाकर 100 प्रतिशत कचरा एकत्र कर रहे हैं।**	**स्रोत पर पृथक्करण**	**अपशिष्ट का स्रोत पर 100 प्रतिशत पृथक्करण सुनिशिचत करने के लिए समय–सीमा**
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	64	64	33	31.03.2022
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	104	104	66	31.12.2021
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	104	104	49	31.07.2022
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	14	14	14	
दिल्ली छावनी बोर्ड	08	08	08	
कुल	**294**	**294**	**170 (57.82%)**	

20.4.6 दिल्ली में निर्माण और विध्वंस से उत्पादित अपशिष्ट की स्थिति

विवरण 14.21

दिल्ली में निर्माण और विध्वंस से उत्पादित अपशिष्ट की स्थिति

1	निर्माण एवं विध्वंस मलबे का उत्सर्जन	5000 मीट्रिक टन प्रतिदिन
2	प्रतिदिन एकत्रित निर्माण और विध्वंस मलबा	4500 टन
3	निर्माण और विध्वंस मलबा संग्रह स्थल	167
4	सक्रिय लैंडफिल	3 (भलस्वा, गाजीपुर और ओखला)
5	निर्माण और विध्वंस मलबा प्रोसेसिंग केंद्र	1 उत्तरी दिल्ली–बुराडी (2000 टीपीडी) 1 पूर्वी दिल्ली–शास्त्री पार्क (1000 टीपीडी) 1 द.दि.न.नि – बक्करवाल (500 टीपीडी)
6	प्रस्तावित निर्माण और विध्वंस मलबा प्रोसेसिंग केंद्र	उ.दि.न.नि.–रानीखेड़ा 1000 टन निविदा जारी की गईं।

20.4.7 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का शुभारंभ

(i) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का दूसरा चरण 01 अक्टूबर, 2021 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। एसबीएम (यू) 2.0 पहले चरण के दौरान प्राप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिणामों को बनाए रखने और प्राप्त की गई गति को तेज करेगा।

(ii) मिशन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाली अतिरिक्त आबादी की सेवा के लिए स्वच्छता सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की स्थापना, सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं, एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, डंप साइटों पर सभी विरासत कचरे का उपचार और स्रोत पृथक्करण पर अधिक जोर देना प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे।

(iii) सभी वैधानिक कस्बों के कम से कम ओडीएफ+ बनने की उम्मीद है और सभी शहरों से एसबीएम (यू) 2.0 के तहत कम से कम 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने की उम्मीद है। नए चरण के तहत स्वच्छता और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों की भलाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

21. आवास और शहरी स्थलों के समक्ष चुनौतियां

1. **भूमि स्वामित्व में विविधता** : भूमि अधिकार में विविधता, संबंधित एजेसियों के साथ भूमि स्वामित्व का अभाव सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डूसिब को प्रदत्त सीमित अधिकार और कानूनी व्यवधान कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। स्वस्थाने उन्नयन का काम बिल्कुल स्पष्ट भूमि स्वामित्व पर आधारित है। दिल्ली में 30 प्रतिशत मलिन बस्तियां राज्य सरकार की जमीन पर हैं जबकि शेष केंद्र सरकार की जमीन पर बसी हैं। दिल्ली में भूमि राज्य का विषय नहीं है और केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण– डीडीए – दिल्ली मास्टर प्लान–2021 के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र अधिकृत प्राधिकरण है। रेलवे, स्थानीय निकाय, दिल्ली जल बोर्ड और इन जैसे कुछ अन्य के पास प्रमुख भूस्वामित्व है। विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के बीच भूस्वामित्व को लेकर असमंजस की स्थिति है।

2. **सुविधा वंचित** : समुचित दस्तावेज के अभाव में निर्धन प्रवासी और निम्न आय वर्ग के लोगों को विभिन्न सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि इस बारे में किससे संपर्क किया जाए। शिक्षा का अभाव भी इस दिशा में एक बड़े व्यवधान का काम करता है।
3. **विकास नियंत्रण** : अनधिकृत कालोनियां समय समय पर नियमित की जाती हैं। नियमित हो जाने के बाद इन कालोनियों में अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं। जमीन के प्लाटों को अनौपचारिक बस्तियों और मलिन बस्तियों में लगातार विभाजित किया जा रहा है। इससे अपर्याप्त बुनियादी और सम्पर्क सुविधाओं वाले गैर–हवादार मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहरी गांवों के समक्ष भी ऐसी ही समस्याएं हैं।
4. **भूमि उपलब्धता और कीमत** : जमीन का मूल्य बहुत ही अधिक होने के कारण सस्ते मकानों का निर्माण एक चुनौती है। आसपास के शहरों का विकास होने से दिल्ली के बाहर आबादी का स्थानांतरण बढ़ रहा है। लेकिन, इसके बावजूद दिल्ली में जमीन की कीमतों में कमी नहीं है। यहां आने वाले नए और निर्धन प्रवासियों को कार्यस्थल के निकट आवास सुलभ नहीं हो पाता।
5. **बुनियादी सेवाएं और अवसंरचना** : पर्याप्त और समान शहरी विकास, पाइप से पानी की आपूर्ति, बिजली और शौचालय की सुविधा प्रत्येक घर के लिए सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन तक सामुदायिक स्तर और साझा आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सबके लिए समुचित रूप से ढकी नालियां, ठोस कचरा संग्रहण और निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में इन सुविधाओं को मुहैया करा पाने की शहर की क्षमता बाधित होती है।
6. **आजीविका से सम्बद्ध** : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। इनमें से कई लोगों को आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने घरों का ही इस्तेमाल कार्य स्थल के रूप में करना पड़ता है। शहर के दूर–दराज घर होने के कारण उनकी आजीविका में बाधा आती है। पानी, साफ सफाई और स्वच्छता तथा बिजली की साझा सुविधा होने से भी निर्धन लोगों की कार्य उत्पादकता पर असर पड़ता है। वित्त की उपलब्धता अक्सर कानूनी स्वामित्व वाली जमीन पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर इन वर्गों को उपलब्ध नहीं होती। इसके कारण भी उनकी कार्य उत्पादकता का स्तर गिरता है।
7. **व्यापक शहरी एकीकरण** : मलिन बस्तियों का विकास अक्सर अलग–थलग होता है और उन्हें शहर की विकास योजना में जोड़ा नहीं जाता। निम्न आय वर्ग के लोगों की बस्तियां अक्सर विकास की मुख्यधारा से वंचित रह जाती हैं, इसका प्रतिकूल असर उनकी सामुदायिक भागीदारी पर पड़ता है। समुचित संस्थागत प्रयासों के बिना इनके समावेषन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।
8. **कानूनी व्यवधान** : अनेक अदालतों ने अनधिकृत निर्माण गिराए जाने के पक्ष में निर्णय पारित किए हैं। इसके कारण कई लोग आश्रय विहीन हो गए हैं और शहर के समावेशीकरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है।